

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे ज
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बंधित पिष्ठय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमाक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : गूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4205

दिनांक: 14/12/11

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध प्रेस्टन कॉलेज, ग्वालियर (0751-2391577) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. ए.पी.एस. चौहान, आचार्य, राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442836)

(2) प्रो. सी.वी. लघाटे, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

(3) प्रो. विवेक बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपाति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेस्स तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः बिस्तर हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जारी होने तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानव विविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जि कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बादित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4278

दिनांक: 22.12.11

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध प्रेस्ट्वन कॉलेज, ग्राम खुरेडी बड़गांव रोड, मुरार ग्वालियर (0751-3291577) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.कॉम. द्वितीय वर्ष (लेन कम्प्यूटर अति.वि.) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

- (1) प्रो. डी.एन. गोरावामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर(संयोजक)
(0751-2442842)
- (2) डॉ. के.एस. बुकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. के.एस. गुरुर, आचार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपाति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिजेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जगा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देवी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वयं विरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जगा करने होंगे। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जावेगी तथा महाविद्यालय की वस्तुरियाति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

3m/15
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यगाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय को निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

RJ
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

अमरत यश व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही जिसे जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो एक क्रमांक एवं दिनांक
अध्ययन निर्णय जावे जिससे सविष्ठा हो।



ग्राम : यूपीएसटी
दूरध्वाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4495

दिनांक: 31/01/12

// सूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध प्रेस्टन कॉलेज, ग्वालियर (0751-3291577) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. राजीव जैन, अधिकारी, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442829)
- (2) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) प्रो. एस.के. शुक्ला, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (4) प्रो. विवेक बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर भुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेट्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति या प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से समर्पक स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त नियांसित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः विस्तृत हो समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय अहायक प्राचार्यों लेकर जारीगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / आनदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियांसित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लगभग पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बाज से ही लिखा जाए व
कि किसी अन्य प्रशिक्षिकारी के नाम से।
सञ्चालित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अद्यता लिखा जाए तिसों सुनिश्चा हो।



ग्रन्थ : शूलीर्वर्ती
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/५९६।।

दिनांक: ०१/०६/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने सम्बद्ध प्रेस्टन महाविद्यालय, खुरैरी, झड़गांव, मुगर, ग्वालियर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.एड., एम.ए. पाठ्यक्रम कक्षा पाठ्यक्रमों/विषयों वरी अस्थायी सम्बद्धता हेतु अबुशंसाएं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/रु.टी. समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. ए.के. शर्मा, आचार्य, प्रामाण्यार्थी एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442630)
- (2) प्रो. ए.के. हल्ले, आचार्य, राज्यन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. रंजना मिश्रा, व्याख्याता शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुमोदि है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विनियोग कर शुल्क, घोटाल राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अवापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, ड्रीडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्टिकेल्स तथा पिछले सत्र ने ती गई शर्तों की पूर्ति या प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की विद्युतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपालिका के नियमानुसार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समझ प्रस्तुत किए जाने हैं। इस समझ समितियों के संयोजक एवं महाविद्यालयों के प्रावधारों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने महाविद्यालयों का विनियोग विधायित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय नियोग हेतु तिथि के विवारण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एम गाह तक संयोजक से सम्पर्क बही करता है तो संबंधित संयोजक स्वर्ण समिति के सदस्यों के साथ किसी भी दिन संबंधित महाविद्यालय का विनियोग कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार बही किया जा सकेगा। जा ही महाविद्यालयों के लिए पुब्लिक समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

“नियोग समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्रा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वर्तुलियत से नियोग समिति को अवगत करायेंगे। नियोग समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मार्केट महाविद्यालय द्वारा देय होगा।”

प्रतिलिपि :-

1. सम्मत सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर नियोग दिनांक नियायित कर महाविद्यालय द्वारा नियोग करायें। उक्त नियोग 15 विवास के अवधि कराने की व्यवस्था करें।
3. आधुक्त उच्च शिक्षा, सतपुझा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के नियोगी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)